(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4886 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.11.2017 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 60/अपील/16-17.

---

1. श्रीमती कुसुम चौकसे पत्नी श्रीराम चौकसे
   पुत्री स्व. चंपालाल,
   निवासी चौकसे किराना स्टोर, काजी केम्प,
   बैरसिया रोड, भोपाल, म.प्र.
2. श्रीमती इन्द्राबाई पत्नी श्री बालमुकुन्द चौकसे
   पुत्री स्व. चंपालाल चौकसे
   निवासी वार्ड नं. 05, गणेश चौक, मण्डीदीप
   जिला रायसेन, म.प्र.
3. श्रीमती शिवकुमारी पत्नी श्री रामदयाल चौकसे,
   पुत्री स्व. श्री चंपालाल चौकसे
   निवासी सेमरा रोड, ग्राम सेमरा कला,
   तहसील गोविन्दपुरा वृत्त हुजूर, जिला भोपाल
4. श्रीमती नीलमणी राय पत्नी श्री जगदीश राय
   पुत्री स्व. श्री चंपालाल चौकसे
   निवासी म.नं. 310, गली नं. 02,
   शंकर मंदिर के पास, नारायण नगर,
   होशंगाबाद, म.प्र.
5. श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री मांगीलाल,
   पुत्री स्व. श्री चंपालाल
   निवासी मुकाम पोस्ट उदयपुर,
   तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा, म.प्र.

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. लीलाकिशन चौकसे आ. स्व. चंपालाल चौकसे

2. श्रीमती मोतन बाई पत्नी स्व. चंपालाल चौकसे
3. राजेन्द्र कुमार आ. स्व. चंपालाल चौकसे
तीनों निवासी गणेश चौक, मण्डीदीप,
तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, म.प्र. ..... अनावेदकगण

श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 व 2

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 14/5/19 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा नंबर 179/1, 180/1, 182/2, 185/1 कुल किता 4 रकबा 7.51 एकड़ भूमि श्री चंपालाल आ. स्व. श्री हजारीलाल चौकसे के नाम शासकीय अभिलेख में अभिलिखित थी। स्व. श्री चंपालाल की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि पर नामांतरण पंजी संशोधन क्रमांक 4 प्रमाणित 05.06.2003 के अनुसार वारिसाना आधार पर केवल अनावेदकगण के नाम दर्ज हुई, जबकि आवेदकगण मृतक श्री चंपालाल आ. स्व. श्री हजारीलाल चौकसे की पुत्रियां हैं । उक्त संशोधन के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज, जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 07/अपील/2014-15 दर्ज कर संशोधन निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण का नाम संयुक्त रूप से अंकित किये जाने का आदेश दिनांक 06.01.2017 पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 13.11.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) विवादग्रस्त भूमि कुल रकबा 7.51 एकड़ पैतृक कृषि भूमि है और उक्त भूमि में जिस प्रकार अनावेदकगण का हित व अधिकार है, उसी प्रकार समान अधिकार आवेदकगण का है, सम्पूर्ण भूमि पर अनावेदकगण का अधिकार नहीं है। फौती नामांतरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उक्त प्रक्रिया का अवलोकन भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, फौती नामांतरण संशोधन पंजी के माध्यम से किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार एवं हल्का पटवारी को यह सोचना चाहिए था कि चंपालाल के कितने वारसान हैं और सभी वारिसानों को सुने जाने का अधिकार है अथवा नहीं, उन्हें बिना सुने क्या आदेश पारित किया जा सकता है, परंतु मिलीभगत कर संशोधन पंजी पर सभी वारिसानों की जानकारी लिये बिना इस्तहार जारी किये बिना और नोटिस जारी किये बिना, दौंडी पिटवाये बिना ही एकपक्षीय रूप से बिना सहमति लिये संशोधन पंजी पर तीनों अनावेदकगण के नाम दर्ज करा लिये, जो कि विधिसंगत नहीं है और ना ही संशोधन पंजी पर किसी भी आवेदकगण के सहमति के रूप में हस्ताक्षर हैं। जो इस्तहार जारी करने का उल्लेख नामांतरण पंजी पर किया है, परंतु उक्त इश्तहार किस तारीख को, किस दिन को जारी किया गया है और इस्तहार का प्रकाशन किया गया है, यदि प्रकाशन किया गया है तो कौन से दैनिक समाचार पत्र में जारी किया गया है, उल्लेख नहीं है या फिर किस चौपाल पर, कहां पर चस्पा किया गया है और किसके द्वारा चस्पा किया गया है, कोई उल्लेख नहीं है, जारीकर्ता के भी कोई हस्ताक्षर नहीं हैं और उसकी रिपोर्ट भी नहीं ली है, कितने दिन के लिए जारी किया गया था, इस्तहार जारी करने के कितने दिन पश्चात् फौती नामांतरण दर्ज किया गया है, ऐसा कोई समयावधि का भी उल्लेख नहीं है, इस प्रकार नियम 27 म.प्र. भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया था, उक्त प्रक्रिया का परिशीलन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् अपील सुनते हुए संशोधन पंजी क्र. 4 आदेश दिनांक 15.05.2003 को निरस्त किया गया था, जो पूर्ण रूप से सही है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाना चाहिए था, ऐसा ना करते हुए आवेदकगण को न्याय एवं उनके हिस्से की भूमि से वंचित किया है, जो सही नहीं है।

(2) दिनांक 11.05.2013 का जो बंटवारा है, उक्त बंटवारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें जो मोतनबाई को भूमि दी जा रही है, उसमें 6 हिस्से होंगे, उक्त असमान बंटवारा किया गया था, फिर भी आवेदकगण विश्वास करते रहे कि अपने नाम की भूमि प्रदान कर बंटवारा करेंगे, इसके बाद भी भूमि का बंटवारा नहीं किया और भूमि भी प्रदान नहीं की, तब उनके द्वारा पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि भूमि को दोनों भाई व माता मिलकर किसी अन्य को मिलकर विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदकगण को यह भी सुनने में आया है कि मोतनबाई लीलाकिशन के पुत्र के नाम से वसीयत करने जा रही है, इस प्रकार मोतनबाई के मन में भी अपनी पुत्रियों के लिए तनिक भी स्नेह व प्यार नहीं है और भूमि तीनों सदस्य मिलकर खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में बहस के दौरान लिखित तर्क प्रस्तुत कर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उल्लेख किया था कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उत्तराधिकार अधिनियम 14(1) को समझने में गंभीर भूल की है, धारा 14(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि हिंदू महिला को उसके भरण-पोषण के लिए दी गई सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी श्रीमती मोतनबाई को उनके पति द्वारा वर्ष 1985 में कौटोम्बिक व्यवस्था अनुसार भरण-पोषण के लिए सुरक्षित रखी भूमि को अनदेखा करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। यह भी उल्लेख किया था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 6 में दिनांक 09.09.2005 से यह प्रावधानित स्थापित हुआ है कि धारा 6 सहदायिका सम्पत्ति में हित का न्यायगमन -1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के प्रारंभ से या प्रारंभ पर मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिंदू परिवार में सहदायिकी पुत्री (क) पुत्री की तरह उसी रीति में जन्म से उसके पिता अधिकार में सहदायिकी होगी, (ख) सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार रखेगी, जैसा पुत्र होता तो रखती एवं (ग) उक्त सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्र के दायित्व के समान उन्हीं दायित्वों के अध्याधीन होगी, परंतुक इस उपधारा में प्रयुक्त कोई बात किसी विभाजन या सम्पत्ति के वसीयत व्ययन को जो दिनांक 20.12.2004 से पहले हो चुका था, सम्मिलित करते, किसी व्ययन या अन्य संक्रमण को अविधिमान्य नहीं करेगी, उपरोक्त हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम धारा 2005 के परंतुक को अनदेखा करते हुए तथा वर्ष 1985 में हुए कौटोम्बिक मौखिक आपसी बंटवारा को नजरअंदाज करते हुए उक्त

मौखिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार हुए नामांतरण दिनांक 11.05.2003 को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्टीकरण देते हुए कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम की धारा 6 का संशोधन स्वत्व संबंधी प्रश्नों के निराकरण से संबंध है, जो एकमात्र सिविल न्यायालय के अंतर्गत आता है, राजस्व न्यायालयों द्वारा स्वीकृत किये गये नामांतरण का वैधानिकता प्रदान नहीं करता, यह मानते हुए आदेश पारित किया है।

(3) आयुक्त के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन को मानकर वैधानिक गंभीर भूल की है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अन्य धाराओं का कोई अवलोकन नहीं किया है और वर्ष 2005 में हुए संशोधन को वैध मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 निरस्त कर दिया गया है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरूष की सम्पत्ति को उसके प्रथम वर्ग के वारिस मृत पुत्र का पुत्र व मृत पुत्र की पुत्री के रूप में भूमि में हिस्सा प्राप्त करेंगे, अत: उक्त भूमि में समान अनुपात में हक और हिस्सा है, उत्तराधिकार के आधार पर है, न कि उत्तरजीविता के आधार पर। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 8 निर्वसीयत मृत हिंदू पुरूष की स्वअर्जित सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में प्रावधान करती है, न कि संयुक्त हिंदू कुटुम्ब की सहदायिकी सम्पत्ति के विषय में। आवेदिका कुसुम चौकसे बगैरह का वादग्रस्त सम्पत्ति को अविभाजित हिंदू कुटुम्ब की सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार पुत्र के समान होने से समान भाग के अंतर्गत है और बंटवारा कराने का भी अधिकारी है। अधिनियम 1956 की धारा 6 सहदायिकी सम्पत्ति के किसी सहदायिकी की मृत्यु पर उसके हित के न्यायगमन का उपबंध करती है, इसलिए इस मामले में धारा 8 प्रभावी होगी, न कि धारा 6 होगी। अधिनियम 1956 की धारा 6 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के द्वारा संशोधन किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 09.05.2005 तक जीवित सहदायिकों की जीवित पुत्रियां जिनका जन्म कब हुआ, इसे ध्यान में न रखते हुए उन्हें पुत्रियों के समान सहदायिकी सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया और उपरोक्त संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 20.12.2004 से पहले हुए विभाजन सहित व्ययन अथवा अन्य संक्रामण जो उक्त तारीख से पहले विधि अनुसार हुए हैं, उन पर इस संशोधन का कोई प्रभाव नहीं होगा।

न्याय दृष्टांत- प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलवती एवं अन्य 2016 (1) एम.पी.एल.जे. 108 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में उपरोक्त मार्गदर्शन प्रदान किया है, उपरोक्त दृष्टांत में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी अधिनियम जब तक कि उसका स्पष्टत: अथवा आवश्यक अर्थान्वयन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न हो, तब तक मुख्य उपबंध का संशोधन हमेशा भविष्यलक्षी रहता है। मण्डल द्वारा अभिव्यक्त रूप से संशोधन उसके प्रारंभ के दिनांक को उस तारीख और केवल कब लागू किया, जब प्रश्नाधीन सहदायिकी की मृत्यु संशोधन के बाद हुई हो, किंतु इस मामले में वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त हिंदू कुटुम्ब की अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति नहीं है, जो बंटवारा लीलाकिशन बगैरह ने होना बताया है, वह बंटवारा दरअसल में अमल ही नहीं हुआ है, यदि अमल हुआ है तो आवेदिका कुसुम चौकसे बगैरह के हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, जो बंटवारा होना बताया जा रहा है, उक्त बंटवारे के अनुसार ऐसी कोई भूमि आवेदकगण को प्राप्त ही नहीं हुई है, इसलिए इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत मामले को न मानते हुए अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होना मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, वस्तुत: इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की कोई प्रयोज्यता नहीं है, अपितु आवेदकगण द्वारा उत्तरजीविता होने के आधार पर प्रथम वर्ग की वारिस होकर अपने भाईयों के समान ही एकसाथ उत्तराधिकार में समान अंश प्राप्त करने की अधिकारी है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि सहदायिक संयुक्त हिंदू कुटुम्ब की अविवादित सम्पत्ति होना प्रमाणित नहीं है, इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की प्रयोज्यता नहीं है, अपितु वादग्रस्त सम्पत्ति में आवेदकगण अधिनियम की धारा 8 के प्रभाव से उत्तराधिकार के आधार पर समान अंश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वर्ष 2005 में हुए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में धारा 8 व धारा 6 को विलोपित नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील इस आधार पर स्वीकार की गई कि

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का संशोधन का "परंतुक" का संबंध किसी राजस्व न्यायालय द्वारा अवैध रूप से स्वीकृत किये गये नामांतरण को वैधानिकता प्रदान नहीं करता, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का संशोधन स्वत्व संबंधी प्रश्नों का निराकरण से संबंधित है, जो एकमात्र सिविल न्यायालय के अंतर्गत आता है तथा साथ ही एक राजस्व निर्णय 1993-94 का हवाला दिया, उक्त राजस्व निर्णय न तो उपलब्ध है और न ही इस प्रकरण में लागू होता है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने संशोधन 2005 की धारा 6 की अवमानना करते हुए आदेश पारित किया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिक आधारो पर विधिसंगत आदेश पारित करते हुए दिनांक 13.11.2017 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 जनवरी 2017 निरस्त किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उनके द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर यह अवधारणा कि "हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की धारा 6 का संशोधन स्वत्व संबंधी प्रश्नों का निराकरण से संबंध है, उचित नहीं है। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के परंतुक इस उपधारा में प्रयुक्त कोई बात किसी विभाजन या सम्पत्ति के वसीयत बयान को जो दिनांक 20.12.2014 से पहले हो चुका था, सम्मिलित कर किसी बयान या अन्य संक्रमण को अवधि मान्य नहीं करेगी" इस अधिनियम की पुष्टि आवेदकगण द्वारा लेखी तर्क के पैरा 6 में भी स्वीकार किया है, परंतु आवेदकगण द्वारा नामांतरण पर अत्यधिक बल दिया गया है, जबकि नामांतरण से किसी व्यक्ति को कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं मात्र राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन बनाये रखने की मात्र कार्यवाही है। इस संदर्भ में 2008 आर.एन. 94 (उच्च न्यायालय) भंवरलाल विरूद्ध कस्तूरी में यह अवधारित किया है कि नामांतरण आदेश न्यायिक आदेश नहीं है, यह हक प्रदान नहीं करता। सिविल न्यायालय को हक विनिश्चित करने की अधिकारिता है। इसलिए आवेदकगण को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के परंतुक अनुसार 20.12.2004 के पूर्व के नामांतरण एवं व्ययजन तथा 1985 में हुए कुटुंबिक व्यवस्था को 10 वर्ष बाद वर्ष 2014 में विवादग्रस्त कर हक व अधिकार नहीं

है। इसलिए भी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से संशोधन अधिनियम 2005 का लाभ नहीं दिया जा सकता।

(3) आवेदकगण द्वारा अपने लेखी तर्क के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से वर्ष 1985 में हुए कौटुविंक बंटवारा एवं उक्त बंटवारा के अनुसार हुआ वर्ष 2013 में बंटवारे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। मात्र मनगढंत इल्जाम एवं असत्य कहानी के आधार पर पारिवारिक व्यवस्था को इतने दीर्घ समय पश्चात् विशुब्ध एवं अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में 1997 आर.एन. 394 (उच्च न्यायालय) द्वारका प्रसाद अन्य विरूद्ध राजाबेटा अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है कि धारा 178 विभाजन उसी ग्राम के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा कुटुम्बीय विभाजन साबित खसरा प्रविष्टियों द्वारा भी विभाजन का तथ्य दर्शित विभाजन ग्राह्य है। यहां स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि बंटवरानामा दिनांक 15.09.2013 में भी स्पष्ट रूप से पूर्व नामांतरण/बंटवारे के विषय में लेख करते हुए माता के अंश भाग 2.51 में से बराबर-बराबर हिस्सा प्राप्त करना एवं उसे अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने नाम कराने की बात पर स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त बंटवारानामा दिनांक 15.09.2013 न्यायहित में विचारणीय एवं अवलोकनीय है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1993 एम.पी.वीकली नोट्स 33 रैना विरूद्ध चेतराम में स्पष्ट किया है कि - हिंदू विधि - कौटिम्बक समझौता विभाजन की भांति मान्य है तथा 1996 आर.एन. 33 (उच्च न्यायालय) (भुवन विरूद्ध नागू) में स्पष्ट किया है कि कौटुंविक व्यवस्था के रूप में पक्षकारों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन स्वतंत्र एवं पृथक कार्य करते हुए कब्जा स्थापित ऐसी व्यवस्था को विक्षुब्ध नहीं किया जा सकता। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 3 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदकगण मृतक श्री चंपालाल चौकसे की सगी पुत्रियां होकर अनावेदक क्रमांक 1 एवं 3 की सगी बहिनें तथा अनावेदक क्रमांक 2 की सगी पुत्रियां हैं इस कारण वे भी मृतक चंपालाल की विधिक वारिस हैं ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में नामांतरण पंजी पर आदेश पारित करते समय संहिता की धारा 110 के तहत बने नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है । संहिता की धारा 110 में स्पष्ट प्रावधान है कि नामांतरण के पूर्व विधिक वारिसों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर नामांतरण किया जाना चाहिए, जिसे इस प्रकरण में पालन नहीं किया गया है । नामांतरण पंजी पर इश्तहार जारी किए जाने का लेख है, परंतु इश्तहार कब जारी किया गया, कहां जारी किया गया इन सभी तथ्यों का कोई उल्लेख नामांतरण पंजी में नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी पर पारित वारिसाना नामांतरण में किसी भी आवेदकगण के सहमति के रूप में हस्ताक्षर नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आवेदिकाओं के पिता की मृत्यु होने के बाद अनावेदकों ने तथ्य को छिपाते हुये नामांतरण कराया है । उक्त कारणों से ऐसे नामांतरण आदेश को कतई वैध नहीं ठहराया जा सकता । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संशोधन पंजी क्र. 4 आदेश/प्रमाणीकरण दिनांक 15.05.2003 को निरस्त कर उचित आदेश पारित किया है। न्यायदृष्टांत 1996 आर0एन0 238 यासीन खां विरूद्ध शफी मोहम्मद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मृतक भूमिस्वामी के समस्त वारिसों के नाम नामांतरण विधिमान्य है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संशोधन का परंतुक राजस्व न्यायालय द्वारा अवैध रूप से स्वीकृत किए गए नामांतरण को वैधानिकता प्रदान नहीं करता है, अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है ।

7/ जहां तक अनावेदक की ओर से दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व में वर्ष 1985 में मौखिक पारिवारिक बटवारा हो गया था तथा आवेदिकाओं द्वारा उक्त बटवारा तथा नामांतरण प्रमाणीकरण दिनांक 11-5-13 को पूर्ण सहमति देते हुए दिनांक 15-9-13 को पारिवारिक व्यवस्था बंटवारा निष्पादित किया गया है । इस कारण इस प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 का परंतुक लागू होता है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि यदि उभयपक्ष के मध्य पूर्व में मौखिक बटवारा हो गया था, जैसाकि अनावेदकों द्वारा बताया जा रहा है तब वह अमल में क्यों नहीं लाया गया तथा नामांतरण के समय उसे क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उस अनुसार नामांतरण क्यों नहीं कराया गया । इस संबंध में कोई कारण अनावेकों की ओर से नहीं दिये गये हैं । जहां तक दिनांक 15-9-13 के तथाकथित पारिवारिक बटवारे का प्रश्न है, उक्त बटवारे अनुसार आवेदिकाओं को भूमि प्राप्त हो गई थी इस संबंध में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अतः उक्त तर्क के आधार पर

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत ठहराने संबंधी आवेदक का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अत: अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के परंतुक को मानते अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

8/ अभिलेख से निर्विवादित है कि मृतक श्री चंपालाल चौकसे द्वारा अपने स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई वसीयत नहीं लिखी है इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरूष की सम्पत्ति प्रथमत: अधिनियम की धारा 8 में उपाबंध अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट होने वाले वारिसों को न्यायगत होगी । अनुसूची के वर्ग 1 के उत्तराधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

> "पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूव मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा.."

इस धारा की अनुसूची के वर्ग 1 में पुत्री भी उल्लिखित होने से पिता की संपत्ति में उसके हित विद्यमान होते हैं, जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता । उक्त अधिकार उत्तराधिकार के आधार पर है, न कि उत्तरजीविता के आधार पर। न्यायदृष्टांत 2009 (4) म.प्र.लॉ.ज. 112 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के दिनांक 9-1-1996 को निर्वसीयत मृत होने तथा मृतक द्वारा उसके पीछे अपीलांट पुत्र व 4 पुत्रियों को छोड़ जाने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के प्रावधान के आधार पर पुत्रियों व पुत्र में संपत्ति स्वत्व न्यायगत होना माना गया है तथा पुत्रियों को विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार माना गया है । अत: इस प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 प्रभावी नहीं होगी, बल्कि धारा 8 प्रभावी होगी ।

9/ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 के संशोधन अधिनियम से पूर्व में पुत्रियों को पुत्रों के समान हक प्रदान थे । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत 2006 (2) SSC 68 उत्तम बनाम सोभागसिंह यह स्पष्ट करता है कि 2005 से पूर्व संपत्तियों में निहित हितों का समागम निम्न प्रकार से होगा -

> The, law therefore, insofar as it apllies to joint family property governed by the Mitakshara school, prior to the amendment of 2005, could

therefore be summarized as follows : (बिन्दू (1) व (6) को उल्लिखित किया जा रहा है)

(1) when a male Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession Act 1956, having at the time of his death an interest in Mitakshara coparcenary property, his interest in the property will devolve by survivorship upon the surviving members of the coparcenary (vide section 6).

(6) On a conjoint reading of Section 4, 8 and 19 of the act after joint family property has been distributed in the accordance with section 8 on principles of intestacy, the joint family property ceases to be joint family property in the hands of the various persons who have succeeded to it as they hold the property as tenants in common and not as joint temamts.

उक्त से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 6 में सन् 2005 से पहले यह प्रावधान था कि हिन्दू संयुक्त संपत्ति में हितों का समागम उत्तराधिकार द्वारा होगा अगर मृतक हिन्दू कि मृत्यु के समय कोई भी निकटतम रिश्तेदार महिला हो और वह Class one heirs की श्रेणी में Schedule 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हो तब संपत्ति के हितों का समागम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होगा । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश को निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-01-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर